

लोको पायलट अनुदेश क्रमांक: 06/2023

विषय : धुंध और कोहरे के मौसम में गाड़ियों का संचालन तथा शीतकालीन सावधानियाँ ।

सन्दर्भ : CEE/OP Instruction No. 16/2023

1. यदि सेक्शन में अत्याधिक कोहरा है तथा उसके कारण गाड़ी को नियंत्रित गति से चलाना आवश्यक हो तो संबंधित स्टेशनों को व TLC को इस संबंध में अवश्य अवगत कराये ।
2. गेट मेन तथा Road user हेतु सीटी का अधिकतम उपयोग करें ।
3. मार्ग में धुंध , कोहरे का आभास होते ही लोको पायलट कंट्रोलर / स्टेशनमास्टर(अगले स्टेशन के) को तुरंत कोहरे/कुहासे के बारे में सूचित करें।
4. SR 4.08-3 के अनुसार : गाड़ियों की गति घने कोहरे एवं धुंध के मौसम में निम्नानुसार रहेंगी :-
 - a) लोकोपायलट लोड, ब्रेक पावर तथा दृश्यता के अनुसार गाड़ियों की गति नियंत्रित करेंगे ।
 - b) Absolute ब्लॉक सेक्शन वाले खण्डों में वे गाड़ी की गति को इस प्रकार नियंत्रित करेंगे ताकि वे किसी भी अवरोध के पहले रूक सकें तथा गाड़ी की गति 60 KMPH से अधिक न हो । (यदि FSD कार्यरत है तो अधिकतम 75 kmph)
 - c) ऑटो मैटिक खण्डों में गाड़ियों की गति signal aspect के अनुसार निम्नप्रकार से रहेगी :
हरा – 60 KMPH अधिकतम (यदि FSD कार्यरत है तो अधिकतम 75 kmph)
दो पीला - 30 KMPH अधिकतम
एक पीला - इतनी कम की अगले रोक सिगनल पर खड़ी कर सकें।
5. उचित मात्रा में पटाखे कैब में उपलब्ध रखें ।
6. किसी भी कारण वश सेक्शन में गाड़ी खड़े होने पर गाड़ी का नियमानुसार बचाव तुरंत करें ।
7. दृश्यता साफ न होने पर टनल तथा पुलों पर सहायक लोको पायलट द्वारा पायलटिंग करायें ।
8. हैड लाइट कमजोर होने की अवस्था में TLC को सूचित करें तथा लॉग बूक में दर्ज करें ।
9. सभी रोक सिग्नलों के दो OHE mast पूर्व सिग्मा बोर्ड लगाये गये हैं, ताकि लोको पायलटो को कोहरे के समय दृश्यता स्पष्ट न होने पर रोक सिग्नलों की लोकेशन का पूर्वाभास हो सके । इसे संज्ञान में रखे व कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे ।
10. गाड़ी का चार्ज लेते समय वायपर्स, सैंडर्स का कार्य करना सुनिश्चित करें तथा सुखी रेत पर्याप्त मात्र में सैंडबॉक्स में भरवा लें ।
11. Air dryer का कार्यरत होना सुनिश्चित करें तथा खराब होने पर TLC को सूचित करें , प्रत्येक ठराव पर moisture drain करें ।
12. स्टालिंग प्रोन सेक्शन पर 30 KMPH या उससे कम के सतर्कता आदेश मिलने पर TLC को सहायता इंजिन हेतु पूर्व सूचना दें।
13. बैकर तथा सहायता इंजिन के पिछले मार्कर लाइट को लाल स्थिति में रखें ।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त मंडल में Fog Safe/Fog pass Device/यंत्र का उपयोग किया जा रहा है। जिसे धुंध एवं कोहरे के मौसम में (विशेषकर नवम्बर से फरवरी तक) प्रयोग किया जाएगा। इस संबंध में इसके प्रयोग के लिये निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं :

- i) Fog Safe यंत्र एक फेल सेफ यंत्र नहीं है, इसीलिए इसे एक सहायक उपकरण के रूप में प्रयोग करें।
- ii) Fog Safe यंत्र का लेन देनवाकी टाकी यंत्र के जैसे ही है।
- iii) Fog Safe यंत्र को लॉबी में चार्ज किया जायेगा और गाडी संचालन के दौरान कू द्वारा साथ ले जाया जाएगा।
- iv) ट्रिप की समाप्ति के पश्चात कू मध्य रेल लॉबी के प्रभारी (जहाँ भी मध्य रेल की लॉबी है) को उक्त Fog safe यंत्र सौंपेगा जबकि बाह्य लॉबी में (जैसे इटारसी, भोपाल में) इस यंत्र को कू अपने साथ रनिंग रूम में रखेगा।

सभी मुख्य लोको निरीक्षकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने नामित सभी लोको पायलटों तथा सहा. लोको पायलटों को उपरोक्त यंत्र के प्रयोग के संबंध में समझाएं एवं प्रशिक्षित करें साथ ही यह भी समझायें कि उक्त यंत्र एक सहायक यंत्र मात्र है तथा धुंध और कोहरे के मौसम में गाड़ियों के संचालन के लिये, सामान्य एवं सहायक नियमों का ही अनुपालन करें।

सभी मुख्य कर्मी दल नियंत्रक जारी करने के पूर्व Fog safe यंत्र के चार्जिंग सुनिश्चित करें और इसके प्रविष्टि के लिये Walkie-Talkie की तरह एक अलग रजिस्टर का प्रावधान करें। सभी लोको निरीक्षक सभी लोको कर्मचारी को councel करे एवं अधिक से अधिक फुटप्लेट 22.00 से 8.00 बजे के बीच करें। सभी लोको पायलट तथा सहा. लोको पायलट उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

मध्यरेल

मंडलकार्यलय

टी.आर.ओ, विभागनागपुर

सं : नाग/टीआर/ओ/संरक्षा-/CLI INST/25

दिनांक : 31.10.2023

प्रतिलिपि : मु.वि.इंजी (परिचालन)/सी.एस.टी.मुंबई को सूचनार्थ।

: उप.मु.वि.इंजी(परिचालन./सी.एस.टी.मुंबई को सूचनार्थ।

: व.मं.सं.अधिकारी नागपुर को सूचनार्थ।

: सभी मुख्य कर्मी.नियंत्रक :समस्त रनिंग कर्मचारी को सूचित कर पावती लें।

: मुख्य लोको निरीक्षक : नामित लोको पायलटों को काउन्सलिंग कर पावती हेतु।

: चा.प्र.के/अजनी : प्रशिक्षण में शामिल करने हेतु।

: मु.क.लो.नि नागपुर: को सूचनार्थ

पावकत 31/10/23
व.मं.वि.इंजी./टी.आर.ओ/नागपुर